भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3973

12 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना के शीर्षक का दुरुपयोग

3973. श्री दीपक अधिकारी (देव) :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी बिल्डरों ने अपने विज्ञापनों में प्रधानमंत्री आवास योजना ब्रैंडिंग/लोगो का उपयोग करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बिल्डरों ने ऐसी अनुमति मांगी है/प्राप्त की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे दोषी बिल्डरों जिन्होंने उक्त स्वीकृति प्राप्त नहीं की है, के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) : जी नहीं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्हें अब तक प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के नाम/ प्रतीक चिन्ह/ ब्राडिंग के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के नाम/प्रतीक चिन्ह/ब्राडिंग की निजी भवन निर्माताओं, जिनको सरकार द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है, के कथित दुरूपयोग के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई शुरू की गई है :

(i) नागरिकों के लिए मांग मूल्यांकन हेतु पंजीकरण में पारदर्शिता लाने और इसमें सहजता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू एमआईएस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है।

(ii) मंत्रालय की वेबसाइट पर एक डिस्क्लेमर डाला गया है जिसमें आम जनता को सूचित किया गया है कि इस मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू मिशन के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिफल के रूप में धनराशि एकत्र करने के लिए किसी निजी संस्था अथवा व्यक्ति को प्राधिकृत नहीं किया है।

(iii) पीएमएवाई-यू मिशन के नाम से संभावित धोखाधडी से आम जनता को सतर्क करने की दृष्टि से सार्वजनिक नोटिस (रंगीन विज्ञापन) डीएवीपी के माध्यम से दिनांक 14 मई, 2017 को 51 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (पैन इंडिया) में प्रकाशित किया था।

(iv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आम जनता को धोखेबाज लोगों/संस्थाओं के बारे में आम जनता को धोखाधडी से सतर्क रहने के लिए डिस्क्लेमर/सार्वजनिक नोटिस जारी करें।

(v) आवास/शहरी विकास के प्रभारी प्रधान सचिवों/सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे विज्ञापनों अथवा प्रचार के संबंध में सजगता बरतें जहां पीएमएवाई-यू मिशन के नाम का प्रयोग दुराशय से किया जा रहा है और कानून के अनुसार गलत काम करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे संबंधित जिला/शहरी स्थानीय निकाय को उनके स्तर पर इसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी करें।

*****